सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

वह सब जो आपको जानना आवश्यक है

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या है?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) ग्राहक को एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता में बदलते समय अपना मौजूदा मोबाइल नंबर बनाए रखने की सुविधा देता है।

एमएनपी प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल हैं?

- संबंधित ग्राहक
- दाता ऑपरेटर या सेवा प्रदाता जिससे ग्राहक की वर्तमान सदस्यता है, और वह अपना नंबर पोर्ट करना चाहता है
- प्राप्तकर्ता ऑपरेटर (नया सेवा प्रदाता), जिसके पास ग्राहक अपना नंबर पोर्ट कराना चाहता है या सदस्यता लेना चाहता है
- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) जो बैकएंड पर पोर्टिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करता है।

पोर्टिंग के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

- पोस्ट-पेड मोबाइल ग्राहकों ने सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार, जारी किए गए बिलों के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाता के प्रति सभी 'बकाया राशि' चुका दी है।
- वर्तमान ऑपरेटर के नेटवर्क में सक्रियण 90 दिनों से कम नहीं है।
- मोबाइल नंबर के स्वामित्व में परिवर्तन का अनुरोध प्रक्रिया में नहीं है।
- ग्राहक समझौते में दिए गए निकास उपखंड के अनुसार ग्राहक द्वारा पूरा किया जाने वाला कोई लंबित संविदात्मक बाध्यता(एं) नहीं है।
- मोबाइल नंबर को पोर्ट करना किसी अदालत द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- जिस मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की मांग की गई है वह किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अतिरिक्त प्रावधान क्या हैं?

- कॉरपोरेट मोबाइल नंबर यानी किसी कॉरपोरेट निकाय, फर्म या किसी संगठन या निकाय के नाम पर आवंटित मोबाइल फोन नंबर की पोर्टिंग के मामले में, पोर्टिंग अनुरोध के साथ ऐसी पोर्टिंग की अनुमति देने वाले ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का एक प्राधिकार पत्र भी निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
- अधिकतम 100 मोबाइल नंबरों को एक साथ पोर्ट करने के लिए एकल पोर्टिंग अनुरोध किया जा सकता है, और ऐसे प्रत्येक मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग शुल्क लागू होगा।
- पोर्टिंग अनुरोध, यदि एक से अधिक कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के लिए किया जाता है, तो ऐसे नंबर एक ही दाता ऑपरेटर के होने चाहिए।
- कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन की पोर्टिंग में 5 दिन लगते हैं।

पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने के क्या आधार हैं?

- व्यक्तिगत ग्राहकों के मोबाइल नंबरों के लिए, यूपीसी की वैधता अवधि के बाद या यूपीसी बेमेल के मामले में, ग्राहक द्वारा प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को सबमिट किया गया पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए मौजूदा ऑपरेटर द्वारा कॉरपोरेट पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने के कई कारण बताए गए हैं; कंपनी का गलत लेटर हेड, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर गायब या मेल नहीं खाते, तारीख और ईमेल आईडी का उल्लेख नहीं किया गया, ऑपरेटर के डेटाबेस से मिलान करते समय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया, या गलत पाया गया आदि।

पोर्टिंग प्रक्रिया क्या है?

चरण 1:

प्राप्तकर्ता ऑपरेटर की बिक्री के केंद्र पर **विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी)** सृजित करें। इसके लिए, 'PORT' शब्द (जो केस-असंवेदनशील होगा, यानी, यह 'Port' या 'port' आदि हो सकता है) के बाद एक स्पेस और दस अंकों का मोबाइल नंबर, जिसे पोर्ट किया जाना है, को 1900 पर एस एमएस करें (उदाहरण के लिए **'Port' <स्पेस> 'मोबाइल नंबर'**)। ग्राहक को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से यूपीसी प्राप्त होगी।

चरण 2:

चयनित प्राप्तकर्ता ऑपरेटर का **ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ)** और पोर्टिंग फॉर्म भरें और वैध यूपीसी का उल्लेख करें। आवश्यक भुगतान और अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद, ऑपरेटर से नया सिम प्राप्त करें। एमएनपी सेवा प्रदाता ग्राहक को एक संदेश के माध्यम से **24 घंटे की उपलब्ध निकासी** विंडो के साथ प्रस्तुत की गए पोर्टिंग अनुरोध को जमा करने की पुष्टि करता है।

चरण 3:

पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने/रद्द करने के लिए, '**CANCEL<स्पेस>मोबाइल नंबर' लिखकर '1900' पर एक एसएमएस** भेजें। 'CANCEL' शब्द केस असंवेदनशील है। यह 'Cancel' या 'cancel' हो सकता है।

चरण 4:

लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के भीतर पोर्ट करने में **3 कार्य दिवस** लगते हैं, और एक एलएसए से दूसरे एलएसए में पोर्ट करने में **5 कार्य दिवस** लगते हैं। जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व एलएसए के मामले में, पोर्टिंग में 15 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। पोर्टिंग की तारीख और समय बताने वाला एक एसएमएस ग्राहक को भेजा जाता है। पोर्टिंग आम तौर पर रात के समय की जाती है और **अधिकतम 4 घंटे की अवधि तक कोई सेवा नहीं होती है।**

चरण 5:

फोन में **नया सिम** डालें। **सत्यापन के बाद** नए सेवा प्रदाता, यानी प्राप्तकर्ता ऑपरेटर के नेटवर्क पर मोबाइल नंबर सक्रिय हो जाएगा।

एमएनपी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य?

- **यूपीसी की वैधता:** यूपीसी सभी एलएसए के लिए 4 दिनों के लिए वैध होगी, केवल जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व एलएसए के मामले को छोड़कर, जहां यह 30 दिनों के लिए वैध रहेगी। (यूपीसी की वैधता की गणना के लिए, जिस दिन यूपीसी सृजित किया गया है, उसे शामिल नहीं किया गया है।)

- **पोर्टिंग अनुरोध की स्थिति:** पोर्टिंग के हर चरण पर ग्राहक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

- **पोर्टिंग शुल्क:** प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के लिए सेवा प्रदाता द्वारा लगाया जाने वाला पोर्टिंग शुल्क, यदि कोई हो, रु.6.46 से अधिक नहीं होगा।

- **बकाया राशि का भुगतान न करने पर कनेक्शन विच्छेद:** पोर्टिंग के समय, सब्सक्राइबर्स को अपने नेटवर्क से सेवाओं के डिस्कनेक्ट होने तक ली गई सेवाओं के लिए दाता ऑपरेटर की बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक है। ऐसे बकाया का भुगतान न करने की स्थिति में, सफल पोर्टिंग के बाद भी, दाता ऑपरेटर के अनुरोध पर, प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा सेवाएं बंद की जा सकती हैं।

- **मोबाइल नंबर पुनः कनेक्शन का प्रावधान:** नॉन पेमेंट डिसकनेक्शन (एनपीडी) के तहत आने वाले मोबाइल नंबर को 60 दिनों की 'एजिंग अवधि' के दौरान दोबारा कनेक्ट करने की अनुमति दी गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए दाता संचालक द्वारा एनपीडी अनुरोध शुरू करने के बाद, 30 दिनों की नोटिस अवधि शुरू की जाती है। इस नोटिस अवधि के दौरान, नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिन पूरे होने के बाद ग्राहक की आउटगोइंग सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। यदि ग्राहक एनपीडी अनुरोध के 30वें दिन तक लंबित बकाया राशि जमा करने में विफल रहता है, तो मोबाइल नंबर की सेवाएं निलंबित कर दी जाती हैं, और मोबाइल नंबर को 60 दिनों की 'एजिंग अवधि' के अंतर्गत रखा जाता है। तदनुसार, ग्राहक सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर सकता है और पुन: कनेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से मोबाइल नंबर वापस पा सकता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित)

महानगर दूरसंचार भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

वैबसाइट: www.trai.gov.in

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा TRAI